

# **अध्याय-IV**

## **वाहनों पर कर**

## अध्याय—IV : वाहनों पर कर

### 4.1 कर प्रशासन

राज्य में वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988; केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 तथा बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह सरकार स्तर पर प्रधान सचिव, परिवहन विभाग तथा विभाग के सर्वोच्च स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रशासित है। उनके कार्य संपादन में मुख्यालय स्तर पर दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त सहयोग करते हैं। राज्य को नौ<sup>1</sup> क्षेत्रों एवं 38 जिलों में बाँटा गया है जिन पर क्रमशः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों का नियंत्रण रहता है। उन्हें अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है।

### 4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 में हमने वाहनों पर कर से संबंधित 49 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयों में से 35 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 19.90 करोड़ से सन्निहित 252 मामलों में राजस्व का कम आरोपण/आरोपण नहीं किया जाना, कम वसूली/वसूली नहीं किया जाना तथा अन्य त्रुटियों का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जैसा कि तालिका 4.1 में वर्णित है।

तालिका—4.1

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना	32	5.97
2	व्यापार प्रमाणपत्र का नवीकरण नहीं किया जाना	21	4.82
3	ट्रैक्टरों तथा ट्रेलरों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं/कम किया जाना	41	2.63
4	बगैर अस्थाई निबंधन के वाहनों को सौंपे जाना	6	1.90
5	तिपहिया वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं/कम किया जाना	23	1.32
6	व्यापार कर की वसूली नहीं/कम किया जाना	19	0.41
7	अन्य मामले	110	2.85
कुल		252	19.90

वर्ष 2013-14 के दौरान, विभाग ने 53 मामलों में अंतर्निहित ₹ 5.63 करोड़ के आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 28.23 लाख से सन्निहित 12 मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

<sup>1</sup> भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ और वैशाली।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 16.28 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले निम्न कंडिकाओं में वर्णित हैं।

#### 4.3 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियमों/नियमावली एवं विभागीय आदेशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित हैं। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा हुए इन चूकों को प्रत्येक वर्ष हमलोगों द्वारा इंगित किए जाते रहे हैं, परन्तु अनियमितताएँ न केवल निरन्तर होती रही बल्कि लेखापरीक्षा किए जाने तक इसका पता नहीं लगाया गया। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

#### 4.4 मोटर वाहनों पर करों की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 9 के अंतर्गत वाहन कर का भुगतान उस करारोपण पदाधिकारी को किया जाना है, जिनके क्षेत्राधिकार में वाहन निर्बंधित है। आवास/व्यवसाय में परिवर्तन के मामले में वाहन मालिक पूर्व के करारोपण पदाधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर नये करारोपण पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है। पुनः करारोपण पदाधिकारी वाहन मालिक को कर के भुगतान से छूट दे सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा विहित शर्तों को पूरा कर लिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को समय पर करों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु माँग पत्र निर्गत करना आवश्यक है।

पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित, उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत कर का भुगतान 90 दिनों से भी अधिक समय तक नहीं किए जाने पर बकाया कर के 200 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड का विधान है। बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत यदि कर या अर्थदण्ड अथवा दोनों का भुगतान इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया है तो पदाधिकारी, जो मोटर वाहन निरीक्षक से नीचे के स्तर का न हो या राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी, मोटर वाहन को जब्त कर सकता है तथा करों के भुगतान होने तक इसे रोक कर रख सकता है।

हमने पाया कि सरकार/विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कराधान पंजी/वाहन डाटाबेस के टैक्स विलयरेंस टेबल की आवधिक समीक्षा हेतु तंत्र स्थापित नहीं किया था तथा चूककर्ता वाहन मालिकों को माँग पत्र निर्गत करने हेतु समय सीमा भी विहित नहीं किया था।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012-13 की अवधि के करारोपण पंजी और वाहन डाटाबेस की संवीक्षा की तथा पाया (मई 2013 से जनवरी 2014 के बीच) कि 28 जिला परिवहन कार्यालयों<sup>2</sup> में 8,571 नमूना जाँचित परिवहन वाहनों (निबंधित परिवहन मोटर वाहनों की कुल संख्या 1,74,348) में से 1,608 वाहन के मालिकों ने अप्रैल 2008 से मार्च 2014 की अवधि का ₹ 2.09 करोड़ के कर का भुगतान नियत तिथि के दौरान

<sup>2</sup> अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण (छपरा), सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर) और पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

नहीं किया था तथा संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो उन वाहनों को जब्त किया और न चूककर्ता वाहन मालिकों के विरुद्ध बकाया की वसूली हेतु मांग पत्र निर्गत किया था। किसी भी मामले में वाहन मालिक के पते में परिवर्तन अथवा कर के भुगतान से छूट पाने के लिए दस्तावेजों का अभ्यर्पण किया जाना, अभिलेख पर नहीं पाया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.75 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 5.84 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई। यह जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा वाहन डाटाबेस के कार्यान्वयन में सुस्ती के साथ-साथ उच्चतर पदाधिकारियों के कमजोर नियंत्रण तंत्र को प्रदर्शित करता है यद्यपि पूर्व वर्षों में हमने बार-बार इंगित किया था।

मई 2013 से जनवरी 2014 के बीच इंगित किए जाने पर सरकार ने चार जिला परिवहन पदाधिकारियों<sup>3</sup> का उत्तर प्रस्तुत किया (जुलाई 2014) और कहा कि तीन जिला परिवहन कार्यालयों (भागलपुर, जहानाबाद और सीतामढ़ी) में 136 वाहन मालिकों के विरुद्ध ₹ 35.72 लाख का मांग पत्र निर्गत किया गया है, तीन जिला परिवहन कार्यालयों (भागलपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी) में 15 वाहन मालिकों से ₹ 8.88 लाख की राशि वसूली गई है तथा जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा में नौ वाहन मालिकों के विरुद्ध ₹ 4.75 लाख हेतु राजस्व वसूली हेतु नीलाम-पत्र वाद दायर किया है। सरकार ने शेष जिला परिवहन कार्यालयों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

#### 4.5 व्यापार प्रमाणपत्र शुल्क की कम वसूली

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 प्रावधित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई मोटर वाहन नहीं चला सकेगा जब तक कि वाहन निबंधित ना हो। पुनः केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 की धारा 33 प्रावधित करता है कि धारा 39 के परन्तुक के प्रयोजन हेतु, व्यवसायी के स्वामित्व में किसी मोटर वाहन को निबंधन की आवश्यकता से छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते कि वह उस निबंधन पदाधिकारी से व्यापार प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में उस व्यवसायी के व्यवसाय का स्थान हो। नियम 34 के अन्तर्गत व्यापार प्रमाणपत्र प्राप्त करने अथवा पुनर्नवीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र-16 में किया जायेगा तथा उपयुक्त शुल्क (मोटर साईकिल/अशक्त वाहन: पचास रुपये प्रत्येक वाहन के लिए, अन्य: दो सौ रुपये प्रत्येक वाहन के लिए) भी साथ में जमा किया जाएगा, जैसा कि नियम 81 में उल्लेखित है।

पुनः नियम 37 के अधीन, व्यापार प्रमाणपत्र, उसके निर्गत या नवीकरण की तिथि से 12 माह तक प्रभावी होगा तथा उपरोक्त नियमावली के नियम 41 के अधीन उल्लेखित उद्देश्य हेतु सम्पूर्ण भारत में प्रभावी होगा।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012-13 के व्यापार कर पंजी तथा संचिकाओं की संवीक्षा की तथा पाया (अगस्त 2013 से जनवरी 2014 के बीच) कि 12 जिला परिवहन कार्यालयों<sup>4</sup> में नमूना जांच किए गए 93 वाहन व्यवसायियों (517 व्यवसायियों में से) को जनवरी 2009 और नवम्बर 2013 के बीच 1,185 व्यापार प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था जबकि इन व्यवसायियों ने इस अवधि में 5,28,538 वाहन प्राप्त किया था, जैसा कि उनके द्वारा प्रपत्र बी-2 में प्रस्तुत घोषणा से सुस्पष्ट है। यद्यपि निबंधन प्राधिकारी को उनके अधिकार में वाहनों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध थी, उन्होंने शेष 5,27,353 वाहनों हेतु चूककर्ता व्यवसायियों से व्यापार प्रमाणपत्र शुल्क हेतु मांग पत्र निर्गत करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ नहीं किया था, जैसा कि

<sup>3</sup> भागलपुर, दरभंगा, जहानाबाद और सीतामढ़ी।

<sup>4</sup> औरंगाबाद, बेगुसराय, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), गया, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास (सासाराम), सारण (छपरा), और सीवान।

उपरोक्त नियमावली के तहत अपेक्षित है। अतः इस चूक के कारण व्यापार प्रमाणपत्र शुल्क के रूप में ₹ 4.90 करोड़ की कम वसूली हुई।

मामले सरकार/विभाग को दिसम्बर 2013 से मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

#### 4.6 माल वाहक वाहनों से एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अनुसूची-1 के भाग 'ग' के क्रम संख्या-2 के प्रावधानों, जैसाकि वित्त अधिनियम, 2011 (1 अप्रैल 2011 से प्रभावी) के द्वारा संशोधित है, के अन्तर्गत, ट्रेलर को छोड़कर 1,000 कि०ग्रा० तक निबंधित लदान भार क्षमता वाले माल वाहक वाहनों पर एकमुश्त कर ₹ 7,700 और 1,000 कि०ग्रा० से ऊपर अथवा उसके किसी भाग के लिये परन्तु 3,000 कि०ग्रा० से अधिक नहीं, तक निबंधित लदान भार क्षमता पर ₹ 5,500 प्रति टन, ऐसे वाहनों का प्रथम निबंधन तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए, निबंधन के समय आरोपित किया जाएगा और पहले से निबंधित वाहनों के मामलों में देय अन्तर कर की राशि की गणना पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटाने के बाद की जायेगी।

पुनः बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत भुगतान में 15 दिनों से अधिक विलम्ब के मामले में, बकाये करों के 25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड आरोप्य है।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012-13 की अवधि के कराधान पंजी/वाहन डाटाबेस के टैक्स क्लियरेन्स टेबल की संवीक्षा की तथा पाया (जून और दिसम्बर 2013 के बीच) कि 19 जिला परिवहन कार्यालयों<sup>5</sup> में 3,083 नमूना जाँचित मालवाहक वाहनों में से 740 वाहनों, जिनका निबंधन मार्च 2005 और अक्टूबर 2012 के बीच हुआ था, के मालिकों ने बिहार वित्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया था अथवा एकमुश्त कर का कम भुगतान किया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं किया और ₹ 1.47 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 2.12 करोड़ की एकमुश्त कर की वसूली नहीं हुई।

जून 2013 से दिसम्बर 2013 के बीच इंगित किए जाने पर जुलाई 2014 में सरकार ने कहा कि दो जिला परिवहन कार्यालयों (भागलपुर और जहानाबाद) में 43 वाहन मालिकों के विरुद्ध ₹ 15.79 लाख की मांग पत्र निर्गत की गई थी और जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर में छः वाहन मालिकों से ₹ 1.94 लाख की राशि वसूल की गई थी। सरकार ने शेष जिला परिवहन कार्यालयों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

#### 4.7 तिपहिया वाहनों से एकमुश्त कर

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 7, जैसा कि 2010 के वित्त अधिनियम 8 (9 अप्रैल 2010 से प्रभावी) द्वारा संशोधित है, के अधीन निबंधन के समय एक वर्ष से कम आयु के सात एवं चार सीटों वाली तिपहिया वाहनों (चालक को छोड़ कर) पर राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से दस वर्ष की अवधि हेतु एकमुश्त कर क्रमशः ₹ 7,500 एवं ₹ 5,000 देय होगा। पूर्व से निबंधित तिपहिया वाहनों द्वारा भुगतेय एकमुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटाकर की जाएगी तथा यदि कर का भुगतान क्रमशः ₹ 7,500 एवं ₹ 5,000 से अधिक, जैसा भी मामला

<sup>5</sup> औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, सारण (छपरा), सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर) एवं पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

हो, का भुगतान पूर्व में कर दिया गया है तब एकमुश्त कर का भुगतान नहीं करना होगा। पुनः बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (1 अप्रैल 2013 से प्रभावी) के अनुसार (क) चार सीटों से अधिक नहीं तिपहिया वाहनों (चालक को छोड़कर)— नये निबंधित वाहन पर 15 वर्षों के लिए एकमुश्त कर ₹ 9,000 आरोपित होगी या राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए सभी एक वर्ष तक के तिपहियों वाहनों पर एकमुश्त कर ₹ 6,000 आरोपित होगी। (ख) 7 सीटों से अनधिक तिपहिया (चालक को छोड़कर)—नये निबंधित वाहन से 15 वर्षों के लिए ₹ 13,500 देय होगी या राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए सभी एक वर्ष तक के तिपहियों से एकमुश्त कर ₹ 9,000 देय होगी।

बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4(2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अनुसार 90 दिनों से अधिक तक कर का भुगतान नहीं किए जाने पर देय कर का 200 प्रतिशत अर्थदण्ड का विधान है।

#### 4.7.1 तिपहिया वाहनों से एकमुश्त कर और अर्थदण्ड की कम वसूली

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012-13 की अवधि के कराधान पंजी/वाहन डाटाबेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की संवीक्षा की तथा पाया (जून और दिसम्बर 2013 के बीच) कि 13 जिला परिवहन कार्यालयों<sup>6</sup> में 2,859 नमूना जाँचित तिपहिया वाहनों (निबंधित तिपहियों की कुल संख्या 39,606) में से 584 वाहनों, जो मई 2007 और अक्टूबर 2013 के बीच निबंधित हुए थे, के मालिकों ने बिहार वित्त अधिनियम, 2010 और 2013 के प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 76.31 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 1.05 करोड़ के एकमुश्त कर की कम वसूली हुई।

जून 2013 से दिसम्बर 2013 के बीच इंगित किए जाने पर सरकार ने जुलाई 2014 में कहा कि जिला परिवहन कार्यालय, जहानाबाद में 30 वाहन मालिकों के विरुद्ध ₹ 4.52 लाख का मांग पत्र निर्गत किया गया था तथा एक वाहन मालिक से ₹ 14,280 की वसूली हुई थी। सरकार ने शेष जिला परिवहन कार्यालयों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

#### 4.7.2 व्यवसाय नियमों का गलत निरूपण

जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में तिपहिया वाहनों से संबंधित डाटाबेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की संवीक्षा में हमने पाया (दिसम्बर 2013) कि जनवरी 2010 और जून 2010 के बीच 578 तिपहिया वाहन निबंधित किए गए थे। उनमें से 130 तिपहियों के मालिकों ने सितम्बर 2010 से नवम्बर 2010 के दौरान एकमुश्त कर का भुगतान किया था और जिला परिवहन पदाधिकारी ने निबंधन की वैधता, उपरोक्त बिहार वित्त अधिनियम (वर्ष 2010 का 8) के तहत प्रावधान किए गए 10 वर्षों के बदले निबंधन की तिथि से 15 वर्ष 3 माह से 15 वर्ष 9 माह की अवधि हेतु प्रदान किया। यह वाहन डाटाबेस में व्यवसायिक नियमों के गलत निरूपण के कारण घटित हुआ। व्यवसायिक नियमों के गलत निरूपण को विभाग ने बाद में सही कर लिया था परन्तु विभाग ने उपरोक्त मामलों में निबंधन अवधि की गलत वैधता को सही करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इसे इंगित किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने दिसम्बर 2013 में कहा था कि सूचना निर्गत की जाएगी। हम अग्रेत्तर उत्तर की प्रतीक्षा में हैं (अगस्त 2014)।

<sup>6</sup> बेगुसराय, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, सारण (छपरा), सुपौल और वैशाली (हाजीपुर)।

मामला सरकार/विभाग को अप्रैल और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

#### 4.8 ट्रेलरों से एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 7 जैसा कि वर्ष 2010 के बिहार वित्त अधिनियम, 8, (9 अप्रैल 2010 से प्रभावी) से संशोधित है, गैर कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त या रखे गए 3,000 किलोग्राम लदान क्षमता तक के ट्रेलरों द्वारा ₹ 4,000 तथा 3,000 किलोग्राम से अधिक लदान क्षमता वाले ट्रेलरों द्वारा ₹ 6,000 एकमुश्त कर भुगतेय होगा। पूर्व से निबंधित ट्रेलरों द्वारा भुगतेय एकमुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटाकर की जाएगी। पुनः बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (वर्ष 2013 का बिहार अधिनियम 3, 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी) के तहत सभी लदान क्षमता के ट्रेलरों के पूर्ण जीवनकाल के लिए एकमुश्त कर ₹ 10,000 आरोपित होगा।

बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अनुसार निर्धारित तिथि के अंदर देय कर भुगतान नहीं करने पर बकाया करों का 25 से 200 प्रतिशत तक अर्थदण्ड का विधान है।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012-13 की अवधि का कराधान पंजी/वाहन डाटावेस के टैक्स क्लियरेन्स टेबल की संवीक्षा की तथा पाया (मई और दिसम्बर 2013 के बीच) कि 12 जिला परिवहन कार्यालयों<sup>7</sup> में 2,777 नमूना जाँचित ट्रेलरों (निबंधित ट्रेलरों की कुल संख्या 33,705) में से 575 ट्रेलरों, जो नवंबर 2006 से अप्रैल 2013 के बीच निबंधित हुए थे, के मालिकों ने वर्ष 2010 तथा 2013 के बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया था। उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन जिला परिवहन पदाधिकारियों ने सुनिश्चित नहीं किया था। इसके फलस्वरूप ₹ 60.44 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 82.39 लाख के एकमुश्त कर की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई ने जून 2013 में कहा कि निदेशानुसार अर्थदण्ड की वसूली की जाएगी, जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार ने अगस्त 2013 में कहा कि मामले में मुख्यालय से निर्देश वांछित है और जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा ने जुलाई 2013 में कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जबकि शेष जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कहा (मई और दिसम्बर 2013 के बीच) कि मांग पत्र निर्गत की जाएगी। हम अग्रेतर उत्तर हेतु प्रतिक्षित हैं (अगस्त 2014)।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2013 और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; हमें उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

#### 4.9 ट्रैक्टर से एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की नहीं/कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7 (8), जैसाकि वर्ष 2010 के बिहार वित्त अधिनियम (9 अप्रैल 2010 से प्रभावी) द्वारा संशोधित है, के अंतर्गत कृषि संबंधी कार्य के अलावे उपयोग में लाये गए अथवा उपयोग में लाने हेतु रखे गये ट्रैक्टरों पर वाहन के संपूर्ण जीवनकाल के लिए एकमुश्त कर, मूल्यवर्द्धित कर को छोड़कर, वाहन के मूल्य के एक प्रतिशत की दर से आरोपित किया जाएगा, जबकि पहले से ही निबंधित ट्रैक्टरों के द्वारा एकमुश्त कर की गणना, पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटाने के बाद की जाएगी। पूर्व में ट्रैक्टर पर कर ₹ 100 प्रति वर्ष

<sup>7</sup> बेगुसराय, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), जमुई, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, नालन्दा, नवादा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर)।

था। पुनः बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का बिहार अधिनियम 3, 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी) के अनुसार गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त या रखे गए ट्रैक्टरों से मूल्यवर्द्धित कर को छोड़कर वाहन के लागत के दो प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर संपूर्ण जीवनकाल के लिए देय होगी।

पुनः बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4 (2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अनुसार निर्धारित तिथि के अंदर कर का भुगतान नहीं करने पर बकाए देय कर का 25 और 200 प्रतिशत के बीच अर्धदण्ड का विधान है।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012-13 के कराधान पंजी तथा वाहन डाटावेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की संवीक्षा की और मई और दिसम्बर 2013 के बीच पाया कि नौ जिला परिवहन कार्यालयों<sup>8</sup> में नमूना जाँचित 3,994 ट्रैक्टरों (निबंधित ट्रैक्टरों की कुल संख्या: 64,931) में से 850 ट्रैक्टरों, जो नवंबर 2009 और अप्रैल 2013 के बीच निबंधित हुए थे, के मालिकों ने बिहार वित्त अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने चूककर्ता वाहन मालिकों के विरुद्ध देय कर हेतु मांगपत्र का सृजन नहीं किया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 61.18 लाख के आरोप्य अर्धदंड सहित ₹ 78.64 लाख के एकमुश्त कर की कम/नहीं वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई ने जून 2013 में कहा कि अर्धदण्ड की राशि वसूली जाएगी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने दिसम्बर 2013 में कहा कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार ने अगस्त 2013 में कहा कि इस मामले में मुख्यालय से निर्देश अपेक्षित है, जबकि शेष जिला परिवहन पदाधिकारियों ने (जून और दिसम्बर 2013 के बीच) कहा कि मांग पत्र निर्गत की जाएगी। हम आगे के उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2014)।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2013 और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; हमें उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

#### 4.10 टैक्स टोकन का अनियमित निर्गमन

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 11 एवं 12 तथा उसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत करारोपण पदाधिकारी प्रत्येक व्यक्ति का जो वाहनों के लिए निर्धारित कर का भुगतान करता है, को एक पावती तथा विहित प्रपत्र में टैक्स टोकन निर्गत करेगा। पुनः करारोपण पदाधिकारी चालू अवधि के लिए मोटर वाहनों के संबंध में कर अथवा अर्धदण्ड, यदि कोई हो, को स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि बकाए कर एवं अर्धदण्ड का भुगतान पूरी तरह नहीं कर दिया गया हो। कर की पावती तथा टैक्स टोकन निर्गत किए जाने से पहले करारोपण पदाधिकारी स्वयं को संतुष्ट कर लेगा कि कर के भुगतान के रूप में जमा किया गया राशि विनिर्दिष्ट दर पर भुगतये कर के बराबर है।

पुनः बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4(2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत कर का भुगतान 90 दिनों से भी अधिक समय तक नहीं किए जाने पर बकाया कर के 200 प्रतिशत की दर से अर्धदण्ड का विधान है।

<sup>8</sup> पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), गया, जमुई, कटिहार, लखीसराय, नवादा, पटना, रोहतास, (सासाराम) और शेखपुरा।



तीन जिला परिवहन कार्यालयों<sup>9</sup> में कराधान पंजी तथा वाहन डाटावेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की तिर्यक जांच में हमने नवम्बर और दिसम्बर 2013 के बीच पाया कि करारोपण पदाधिकारी ने 79 परिवहन वाहनों को अप्रैल 2008 और सितम्बर 2013 के बीच की अवधि के लिए बकाये कर की वसूली सुनिश्चित किए बिना टैक्स टोकन निर्गत किया। यद्यपि जिला परिवहन पदाधिकारियों को इन मामलों में डाटावेस से टैक्स टोकन निर्गत करने से पहले कराधान पंजी से पूर्व में किए गए कर भुगतान को सुनिश्चित कर लेना चाहिए था। बकाए करों की वसूली किए बिना टैक्स टोकन का निर्गमन उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल था, जिसके फलस्वरूप ₹ 22.73 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 34.09 लाख की वसूली नहीं हुई। जैसा कि तालिका 4.2 में वर्णित है।

#### तालिका:-4.2

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जिला परिवहन कार्यालय	वाहनों की संख्या, जिसे अनियमित रूप से टैक्स टोकन निर्गत किया गया	अवधि, जिसका कर बकाया था	कर भुगतान नहीं किये जाने की अवधि	देय कर	अर्थ दण्ड	कुल
1	भोजपुर (आरा)	22	अगस्त 2010 और सितम्बर 2013 के बीच	1 से 36 माह	1,46,581	2,93,162	4,39,743
2	पूर्वी चम्पारण मोतिहारी	26	अगस्त 2010 और जुलाई 2013 के बीच	3 से 45 माह	6,16,756	12,33,512	18,50,268
3	रोहतास	31	अप्रैल 2008 और जून 2013 के बीच	3 से 57 माह	3,73,020	7,46,040	11,19,060
<b>कुल</b>		<b>79</b>			<b>11,36,357</b>	<b>22,72,714</b>	<b>34,09,071</b>

इसे इंगित किये जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास ने दिसम्बर 2013 में कहा कि मांग पत्र निर्गत की जाएगी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण ने दिसम्बर 2013 में कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर ने दिसम्बर 2013 में कहा कि कर की मैन्युअल वसूली रोक दी गई थी किन्तु बकाया कर की वसूली किये बिना कर टैक्स टोकन निर्गत करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया। मामले में आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित है (अगस्त 2014)।

मामले सरकार/विभाग को अप्रैल और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; हमें उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

#### 4.11 मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की नहीं/कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत मोटर वाहन के निर्माता अथवा व्यवसायी को अपने व्यापार के क्रम में अपने अधिकार में रखे गए मोटर वाहनों के लिए निर्माता/व्यवसायी के रूप में विहित वार्षिक दर पर करों का भुगतान करना होगा।

<sup>9</sup> भोजपुर (आरा), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), और रोहतास।

बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23, के अनुसार निर्धारित तिथि के भीतर देय कर का भुगतान नहीं करने पर कर के 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है। पुनः राज्य परिवहन आयुक्त ने सितम्बर 2007 में सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को कर की वसूली तथा व्यापार प्रमाणपत्र नवीकरण हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012-13 की अवधि में मोटर वाहनों के निर्माताओं/व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उनके अधिकार में रखे गए मोटर वाहनों से संबंधित घोषणा और निबंधन पंजियों की संवीक्षा की तथा पाया (जुलाई और नवम्बर 2013 के बीच) कि सात जिला परिवहन कार्यालयों<sup>10</sup> में 19 मोटर वाहन व्यवसायियों ने अप्रैल 2007 और अक्टूबर 2013 के बीच की अवधि में अपने अधिकार में रखे गए 34,441 वाहनों (25,753 दो पहियों और 8,688 तीन/चार पहियों) हेतु विहित दर से व्यवसाय कर या तो जमा नहीं किया था अथवा कम जमा किया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने व्यवसायियों द्वारा समर्पित घोषणा के अनुसार व्यापार कर के भुगतान की सत्यता की जांच नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 24.64 लाख के व्यापार कर की वसूली नहीं/कम हुई।

इसे इंगित किये जाने पर, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जुलाई और नवंबर 2013 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत की जाएगी। हम अगले उत्तर हेतु प्रतिक्षित हैं (अगस्त 2014)।

मामले सरकार/विभाग को दिसम्बर 2013 और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; हमें उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

#### 4.12 चालक अनुज्ञप्ति का प्रपत्र-7 में नवीकरण नहीं किया जाना

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 16 के अनुसार, जहाँ अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पास लेमिनेटेड/स्मार्ट कार्ड के रूप में चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध है, तब इसे प्रपत्र-7<sup>11</sup> में निर्गत किया जाएगा। पुनः उपरोक्त नियमावली के नियम 16 (3) के अनुसार इस उप नियम के लागू की तिथि (31 मई 2002) या उसके बाद अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा सभी चालक अनुज्ञप्ति 'प्रपत्र-7' में निर्गत अथवा नवीकरण किया जाएगा। राज्य परिवहन आयुक्त ने भी स्मार्ट कार्ड में चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु निर्देशित (फरवरी 2009) किया था।

तीन जिला परिवहन कार्यालयों<sup>12</sup> में जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत गैर-व्यवसायिक चालक अनुज्ञप्ति के नवीकरण संबंधी विवरणी तथा सारथी<sup>13</sup> सॉफ्टवेयर के आंकड़ों की नमूना जांच में हमने जून और सितम्बर 2013 के बीच पाया कि अप्रैल 2011 से मार्च 2013 के बीच नवीकरण किये गए 5,560 गैर व्यवसायिक चालक अनुज्ञप्तियों में से 5,309 चालक अनुज्ञप्ति प्रपत्र-6<sup>14</sup> में नवीकृत किए गए थे यद्यपि सभी जिला परिवहन कार्यालयों में प्रपत्र-7 में अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध था। इस प्रकार, उपरोक्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण चालक अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय पंजी बनाने तथा केन्द्रीय एवं राज्य सुरक्षा एजेंसियों को बहुमूल्य आंकड़ा मुहैया कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तथा

<sup>10</sup> बेगुसराय, गया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी, और सीवान।

<sup>11</sup> प्रपत्र-7: मोटर वाहन चलाने हेतु लेमिनेटेड/स्मार्ट कार्ड में ड्राईविंग लाइसेंस।

<sup>12</sup> बांका, किशनगंज, और नालंदा।

<sup>13</sup> विभिन्न अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने हेतु विकसित एक एप्लीकेशन।

<sup>14</sup> प्रपत्र-6 मोटर वाहन चलाने हेतु पुस्तिका के प्रपत्र में मुद्रित चालक अनुज्ञप्ति।

परिणामस्वरूप ₹ 8.89 लाख की राजकोषीय हानि भी हुई जैसा कि तालिका 4.3 में उल्लेखित है।

### तालिका:- 4.3

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	अवधि	गैर व्यावसायिक चालक अनुज्ञप्ति की संख्या	स्मार्ट कार्ड (प्रपत्र-7 में नवीकृत चालक अनुज्ञप्ति की संख्या)	पुस्तिका में नवीकृत चालक अनुज्ञप्ति की संख्या	₹ 200 प्रति चालक अनुज्ञप्ति के दर पर वसूलनीय राशि	₹ 32.50 प्रति चालक अनुज्ञप्ति की दर से एजेन्सी को स्मार्ट कार्ड की कीमत का घटाव	हानि
1	बांका	अप्रैल 2011 से मार्च 2013	1,514	52	1,462	2,92,400	47,515	2,44,885
2	किशनगंज	अप्रैल 2011 से मार्च 2013	1,530	129	1,401	2,80,200	45,533	2,34,667
3	नालंदा	अप्रैल 2011 से मार्च 2013	2,516	70	2,446	4,89,200	79,495	4,09,705
कुल			5,560	251	5,309	10,61,800	1,72,543	8,89,257

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2013 और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किये गए थे; हमें अभी तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

#### 4.13 अस्थायी निबंधन के बिना वाहनों की सुपुर्दगी के कारण राजस्व की हानि

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 42 के अनुसार, व्यापार प्रमाणपत्र धारक, बिना स्थायी या अस्थायी निबंधन के मोटर वाहनों को खरीददार को नहीं सौंपेंगे। पुनः मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के अनुसार, धारा 40 में धारित किसी बात के होते हुए भी, मोटर वाहन के मालिक निबंधन प्राधिकारी को अथवा दूसरे विहित प्राधिकारी को विहित तरीके से वाहन का अस्थायी निबंधन प्रमाणपत्र एवं अस्थायी निबंधन चिन्ह निर्गत करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने कार्यालय आदेश संख्या 3,415 दिनांक 28 जुलाई 2009 से भी यह स्पष्ट कर दिया था कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार निबंधन प्राधिकारी व्यवसायी एजेंसियों को उनके मांग पर अस्थायी निबंधन संख्या का ब्लॉक उपलब्ध कराएँगे।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012-13 अवधि के वाहन डाटावेस के ऑनर टेबल तथा निबंधन पंजियों की संवीक्षा की तथा छः जिला परिवहन कार्यालयों<sup>15</sup> में पाया (जून और दिसम्बर 2013 के बीच) कि व्यापार प्रमाण पत्र धारकों ने अप्रैल 2011 और मई 2013 के बीच की अवधि के दौरान, क्रेताओं को 8,947 वाहन (हल्के मोटर वाहन: 509 तथा दो पहिया: 8,438) बिना अस्थायी निबंधन चिन्ह आबंटित किये सौंप दिया था। निबंधन प्राधिकारियों (जिला परिवहन पदाधिकारियों) ने अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों एवं विभागीय, आदेश का उल्लंघन करते हुए उन वाहनों का स्थायी निबंधन कर दिया जिन्हें अस्थायी निबंधन के बिना क्रेताओं को सौंप दिया गया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा इन मामलों में वाहनों का निबंधन

<sup>15</sup> औरंगाबाद, भोजपुर (आरा) नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा।

सुपुर्दगी की तिथि से 2,191 दिनों तक के विलंब से किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.31 लाख की हानि हुई।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) 2012-13 की कंडिका 4.16 में सदृश मामला इंगित किया गया था। चूक/अनियमितताओं की प्रकृति का लगातार बना रहना राजस्व के लगातार रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।

मामला सरकार/विभाग को अक्टूबर 2013 और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किया गया था। हमें अभी तक उनके उत्तर अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

#### **4.14 आंतरिक लेखापरीक्षा**

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाती है। मुख्य लेखा नियंत्रक अंकेक्षण दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु ईकाइयों का चयन कर सकते हैं। वित्त विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान परिवहन विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था।